भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2192
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

पोषण 2.0 के अंतर्गत निधि का आवंटन

2192. **श्री देवेश शाक्यः**
सुश्री इकरा चौधरीः
श्री लालजी वर्माः
श्री बाबू सिंह कुशवाहाः
श्री नीरज मौर्यः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पोषण 2.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आवंटित निधि में से प्रशासनिक/प्रचारात्मक कार्यकलापों और वास्तविक पोषण सुधार पर अलग-अलग व्यय की गई निधि का अनुपात कितना है;
(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत और सामाजिक भेदभाव के कारण दलित और पिछड़ा वर्ग बहुल बस्तियों के बच्चे उक्त कारणवश पोषण ट्रैकर और केंद्रों के लाभों से वंचित रह जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन तैयार करने वाले आधुनिक केंद्रों/कुटीर उद्योगों की स्थापना करने तथा स्थानीय स्तर पर शिक्षित ग्रामीण युवाओं को इसके साथ जोड़ने के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने करोड़ों रुपये व्यय होने के बावजूद जमीनी स्तर पर बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की दर में कोई वास्तविक कमी न आने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई स्वतंत्र संपरीक्षा कराई है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक सार्वभौमिक स्वयं चयन की जाने वाली व्यापक योजना है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान

कराने वाली माताओं और पूर्वोत्तर राज्यों तथा आकांक्षी जिलों में किशोरियों (14-18 वर्ष की आयु) सहित देश के सभी पात्र लाभार्थियों हेतु उपलब्ध है। इस मिशन को जाति और सामाजिक भेदभाव के निरपेक्ष सभी लाभार्थियों हेतु क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक लाभार्थी जो ई-केवाईसी प्रक्रिया और चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) से गुजरने का इच्छुक है, वह योजना का लाभ प्राप्त करने का पूरी तरह से हकदार है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 2145.42 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसे पूरक पोषण के उत्पादन के लिए एक विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन तंत्र अपनाया है। टेक-होम राशन (टीएचआर) का उत्पादन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) के तहत, महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से राज्य सरकार की अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, 21,796 आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं के साथ 'सक्षम आंगनवाड़ी' के रूप में उन्नयन किया गया है।

नीति आयोग द्वारा 2020 में पोषण अभियान का एक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन और प्रभाव आकलन किया गया था तथा देश में कुपोषण से निपटने के लिए इसकी प्रासंगिकता को संतोषजनक पाया गया है। नीति आयोग ने 2025 में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का परिणाम-आधारित मूल्यांकन भी किया है। संस्थागत आकलन और घरेलू सर्वेक्षणों के साक्ष्यों से पता चलता है कि अपने वर्तमान स्वरूप में, मिशन पोषण 2.0 एक समेकित और मजबूत दृष्टिकोण के साथ पूर्ववर्ती कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए कुपोषण से समग्र रूप से निपटने और बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के नवीनतम प्रयास को दर्शाता है। इसके अलावा, सूक्ष्म पोषक तत्वों की दिशा में, 6-59 माह की आयु के बच्चों में एनीमिया की व्याप्तता में 8.5 प्रतिशत की गिरावट आई है जो पूरक पोषण कार्यक्रम और संबंधित कार्यकलापों के तहत आयरन-फोलिक एसिड संपूर्ण, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के संभावित प्रभाव और बेहतर पहुंच को दर्शाता है।
